(10)

सं. एबी-14017/37/2008-स्था. (आरआर)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक : 29/4/2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित लचीली पूरक योजना के अनुसार वैज्ञानिक पदों के भर्ती नियमों में संशोधन ।

इस विभाग के दिनांक 10.09.2010 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में जारी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वैज्ञानिकों के संशोधित लचीली पूरक योजना की ओर ध्यान आक्रष्ट किया जाता है । यह निर्धारित किया गया है कि दिनांक 1.1.2011 से वैज्ञानिकों का मूल्यांकन इस योजना के संशोधित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों में लचीली पूरक योजना के प्रावधानों की समीक्षा करने तथा संगठनों की स्कीम को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिशानिर्देशों के अनुसार बनाने हेतु भर्ती नियमों में संशोधन करने की सलाह दी गई थी ।

2. संशोधित स्कीम को शामिल करने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव अधिकांश वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों से नहीं प्राप्त हुए हैं । संशोधित दिशानिर्देश भर्ती नियमों के संशोधन के लिए कार्रवाई करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को पर्याप्त समय देते हुए सितम्बर 2010 में जारी किए जा चुके हैं । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशानिर्देशों से यह स्पष्ट हो जाता है कि लचीली पूरक योजना के अन्तर्गत पदोन्नतियां भविष्यलक्षी तिथि से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका अनुमोदन कर देने के बाद ही की जाएंगी । इन परिस्थितियों के अन्तर्गत भर्ती नियमों में संशोधन के लिए अब तक कार्रवाई कर दी जानी चाहिए थी ताकि वैज्ञानिकों का मूल्यांकन संशोधित स्कीम के अनुसार किया जाता ।

3. तदनुसार, इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों को भर्ती नियमों में संशोधन के लिए तत्काल कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है ताकि वैज्ञानिकों का मूल्यांकन संशोधित स्कीम के अनुसार किया जा सके ।

स्मि कुमार
(स्मिता कुमार)
निदेशक
दूरभाष : 23092479

सेवा में

i) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Net - in Links.

ii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग

iii) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

iv) पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्रालय

v) अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय

vi) प्रथ्वी विज्ञान मंत्रालय

vii) गृह मंत्रालय

viii) जल संसाधन मंत्रालय

ix) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

x) उपभोक्ता मामले मंत्रालय

xi) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि :

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली
5. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
7. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली
8. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
9. स्थापना (आर आर प्रभाग) (20 प्रतियां)
10. राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इसे इस विभाग की वेबसाइट (circular->Establishment->Flexible Complementing Scheme) पर अपलोड करने हेतु ।

(स्मिता कुमार)
निदेशक
दूरभाष : 23092479